न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स रोशन टी स्टॉल
कायड विश्राम स्थली अजमेर
श्री रोशन पुत्र श्री रमजान खान
निवासी हटूण्डी अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री अल्लादीन खान – अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 28.03.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2022 को जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर के निर्देशानुसार उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स रोशन टी स्टॉल अजमेर पर पहुॅचे । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था गैस सिलेण्डर के सदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर रामनेश पुत्र श्री जयालाल खटाणा कार्मिक मैसर्स एसकेएम होम एप्लायेंस एजेन्सी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	714162	IOCL	15.8	29.8	14
2	273251S	BPCL	15.4	25.4	10

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

सिलेन्डर को मौके पर रामनेश पुत्र श्री जयालाल खटाणा कार्मिक मैसर्स एसकेएम होम एप्लायेंस एजेन्सी अजमेर को सुपुदर्गी में दिए गए । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी उक्त टी स्टॉल पर सार संभालने का कार्य करता है। दिनांक 24.01.2023 को अपने स्वयं के घर के कार्य हेतु दो घरेलू सिलेण्डर ले जाते समय मैसर्स रोशन टी स्टॉल अजमेर पर कार्यवंश कुछ देर के लिए रूका था और टीम ने होटल पर कार्यवाही की गई । प्रार्थी घरेलू सिलेण्डरो को व्यवसायकि उपयोग में नही लेता है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.01.2023 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर